तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **निगरानी./टीए/3094/2005/गंगानगर** **बलवन्त सिंह बनाम जगतार सिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24-01-2019	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थित-** श्री प्रदीप विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी श्री अमृतपाल सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत निगरानी धारा 230, सहपठित धारा 221, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर द्वारा दिनांक 15-6-2005 को प्रकरण संख्या 26/2005 उन्वानी बलवन्त सिंह बनाम सरकार में पारित आदेश के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या-1/वादी द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 प्रस्तुत किया और उसके साथ में धारा 212 का अस्थाई व्यादेश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने इस अस्थाई निषेधज्ञा के प्रार्थना पत्र में दिनांक 20-4-2005 को आगामी पेशी दिनांक 9-5-2005 तक के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की। उसी दिन प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता के न्यायालय से जाने के बाद पुनश्चः कर आदेश दिया गया कि "दिनांक 20-4-2005 को आज ही प्रार्थी द्वारा पूर्व में दायर धारा 212 के प्रार्थना पत्र मय दावा संख्या 28/05 बलवंत सिंह बनाम जगतार सिंह के विड्रा किया गया है, जिसमें टी0आई0 जारी किया गया था को भी विड्रा किया गया है, पुनः दावा दर्ज कर नोटिस जारी किए गए हैं। यह टी0आई0 दिनांक 20-4-05 को ही जारी की गई है, को खारिज किया जाता है" आदेश पारित कर दिया है। पूर्व वाद विड्रो हुआ था व द्वितीय वाद न्यायालय की अनुमति से पेश हुआ है जिस पर पूर्व वाद का कोई प्रभाव नहीं पडता है। उपखण्ड अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों व साक्ष्यों की जॉच किए बिना ही केवल मात्र पूर्व के वाद के	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **<u>निगरानी./टीए/3094/2005/गंगानगर</u>** **<u>बलवन्त सिंह बनाम जगतार सिंह</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आधार पर प्रार्थी को सुने वगैरा प्रार्थी के पक्ष में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया है, इसके विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील को भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने तथ्यों के विपरीत जाते हुये निर्णय दिनांक 15–6–2005 से निरस्त किया है। इस मूल विवाद बिन्दु पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने कोई विवेचन नहीं किया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में ये भी कथन किया कि राजस्व अपील अधिकारी को भी प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय नहीं करना चाहिए था क्योंकि परीक्षण न्यायालय के स्तर से प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय नहीं किया गया है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावें और अप्रार्थी संख्या–2 को पाबन्द किया जाये कि वादग्रस्त आराजी को अन्यत्र बेचान आदि नहीं करें। अप्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि प्रार्थी द्वारा स्पैशीफिक रिलीफ एक्ट के तहत वाद, इकरारनामा की पालना को आधार बनाकर प्रस्तुत किया गया था और जब अप्रार्थी द्वारा आपत्ति अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11, सी0पी0सी0 के तहत की गई तो प्रार्थी द्वारा वाद को विड्रा करा लिया गया। प्रार्थी द्वारा दूसरा वाद भी पहले वाद में वर्णित तथ्यों के आधार पर लाया गया है, अतः पूर्व के वाद में दी गई टी0आई0 दिनांक 20–4–2005 को सही आधार पर खारिज किया गया है। अप्रार्थी प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार होने से अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय विधिसम्मत हैं। निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत इन आदेशों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्बन्धित आदेश व अन्य वैधानिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वादी/प्रार्थी द्वारा पूर्व में जो वाद संख्या 28/05 शीर्षक बलवन्त सिंह बनाम जगतार सिंह अन्तर्गत धारा 92–ए के अन्तर्गत दिनांक 8–4–2005 को प्रस्तुत किया गया था उसे वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3, सी0पी0सी0 के आधार पर Withdraw की स्वीकृति देते हुये वाद को मौजूदा स्टेज पर ही खारिज करने का आदेश दिनांक दिनांक 20–4–2005 को दिया गया है। इस वाद के	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **<u>निगरानी./टीए/3094/2005/गंगानगर</u>** **<u>बलवन्त सिंह बनाम जगतार सिंह</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	साथ दिनांक 8–4–2005 को ही प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 संख्या 40/05 में दिनांक 8–4–2005 को "आगामी पेशी तक बेचान नहीं करने" के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। इस टी0आई0 आवेदन पत्र को भी दिनांक 20–4–2005 को इस आशय के साथ खारिज किया गया कि "मूल दावा आदेश 23 नियम 1, सी0पी0सी0 के आधार पर Withdraw की स्वीकृति के साथ खारिज हो चुका है"। वादी/प्रार्थी द्वारा दूसरा वाद संख्या 37/2005 शीर्षक बलवन्त सिंह बनाम जगतार सिंह अंतर्गत धारा 188 सपठित धारा 92–ए के तहत दिनांक 20–4–2005 को प्रस्तुत किया गया और इसके साथ में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन अंतगत धारा 212 संख्या 50/05 शीर्षक बलवन्त सिंह बनाम जगतार सिंह दिनांक 20–4–2005 को ही प्रस्तुत किया गया, जिसमें पेश होने के दिन ही टी0आई0 जारी की गई कि "विवादित भूमि चक 17 जेड के मु0नं0 30 के 7–10 बीघा भूमि की आगामी पेशी 9–5–05 तक यथास्थिति बनाई रखी जावे" इसी दिनांक को पुनश्चः कर आदेश दिया गया "दिनांक 20–4–2005 को आज ही प्रार्थी द्वारा पूर्व में दायर धारा 212 के प्रार्थना पत्र मय दावा संख्या 28/05 बलवंत सिंह बनाम जगतार सिंह के विड्रा किया गया है, जिसमें टी0आई0 जारी किया गया था को भी विड्रा किया गया है, पुनः दावा दर्ज कर नोटिस जारी किए गए हैं। यह टी0आई0 दिनांक 20–4–05 को ही जारी की गई है, को खारिज किया जाता है"। जैसा कि प्रकरण के अवलोकन से सुस्पष्ट है कि उक्त आदेश दिनांक 20–4–2005 जिसके द्वारा जारी की गई टी0आई0 को खारिज किया गया, के विरुद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 26/05 शीर्षक बलवन्त सिंह बनाम जगतार सिंह अंतर्गत धारा 225 प्रस्तुत की गई जिसमें अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 15–6–2005 को अपील को खारिज किया गया है, जिसके विरुद्ध दिनांक 21–6–2005 को ही हस्तगत निगरानी प्रस्तुत की गई है और ये पत्रावली निरंतर मण्डल में पेशी में चलती आ रही है। पाया जाता है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष चल रहे वाद संख्या 37/05 में वादी के द्वारा दिनांक 29–8–2007 को प्रस्तुत किए गए आवेदन कि "वादीगण वाद को आगे नहीं चलाना	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **<u>निगरानी./टीए/3094/2005/गंगानगर</u>** **<u>बलवन्त सिंह बनाम जगतार सिंह</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चाहता है" के आधार पर दिनांक 5-9-2007 को आदेश दिया गया है "वादी वकील के प्रार्थना पत्र पर दावा दाखिल दफ्तर किया जाता है" और इसी प्रकार से इस वाद के साथ प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र संख्या 50/05 अन्तर्गत धारा 212 को भी दिनांक 5-9-2007 को पत्रावली को दाखिल दफ्तर करने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार प्रकरण के परीक्षण से सुस्पष्ट है कि मूल वाद एवं इसके साथ प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, आर0टी0ए0 दोनों ही दिनांक 5-9-2007 को खारिज हो चुके हैं। अतः मूल वाद एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 दोनों ही खारिज हो जाने से, यह निगरानी प्रभावहीन हो जाती है। फलतः निगरानी **प्रभावहीन होने से खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	